मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2017 सत्र दैनिक कार्य सूची सोमवार, दिनांक 24 जुलाई, 2017 (श्रावण 2, 1939) समय 11.00 बजे दिन.

1. निधन का उल्लेख

श्री मोहनलाल सेठिया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा का निधन उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

- (1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री –
- (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का स्थानीय निकाय, वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-4; तथा
- (ख) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्न अधिसूचनाएं :-
 - (i) एफ-ए-3-52-2016-1-पांच (2), दिनांक 18 जनवरी, 2017,
 - (ii) एफ-ए-3-54-2016-1-पांच (3), दिनांक 20 जनवरी, 2017,
 - (iii) एफ-ए-3-03-2017-1-पांच (6), दिनांक 23 फरवरी, 2017,
 - (iv) एफ-ए-3-53-2016-1-पांच (12), दिनांक 28 मार्च, 2017,
 - (v) एफ-ए-3-9-2017-1-पांच (13), दिनांक 30 मार्च, 2017,
 - (vi) एफ-ए-3-11/2017/1/पांच (22), दिनांक 12 जून, 2017, तथा
 - (vii) एफ-ए-3-11-2017-1-पांच (23), दिनांक 14 जून, 2017

पटल पर रखेंगे

- (2) कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (क्रमांक 35 सन् 2009) की धारा 38 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-44-23-2015-बीस-2, दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 पटल पर रखेंगे.
- (3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार एम.पी. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इं) लिमिटेड, इन्दौर का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

- (1) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले में नल जल योजनाएं संचालित न किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य, भीकनगांव क्षेत्र के अपरवेदा बांध के डूब प्रभावितों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

- (1) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम मेहचन्दपुर में आंगनवाड़ी भवन बनाये जाने,
- (2) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले के -
 - (क) ग्राम आड़ाबयड़ापुरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय का माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने, तथा
 - (ख) ग्राम नालछा में नवीन महाविद्यालय स्वीकृत कर प्रारंभ किये जाने,
- (3) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम खारवाकला, राड़ीमाता से कसारी तक सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

- (4) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के -
 - (क) ग्राम कालपीपली के शासकीय मिडिल स्कूल का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
 - (ख) ग्राम लावाखेड़ी को वीरपुर डेम की सड़क से जोड़े जाने,
- (5) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के -
 - (क) ग्राम लिम्बोदियाकला में 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने, तथा
 - (ख) महिदपुर सिविल अस्पताल में 100 बिस्तरों की सुविधा स्वीकृत किये जाने,
- (6) श्री मोती कश्यप, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम धरवारा के हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (7) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम अजनार, रहावली, उबारी एवं रमपुरा की पुलिस चौकी में स्टाफ पदस्थ किये जाने,
- (8) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के -
 - (क) ग्राम बामनिया के माध्यमिक स्कूल को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
 - (ख) ग्राम झालरी के माध्यमिक स्कूल को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (9) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर जिले के -
 - (क) ग्राम दावतपुर में हाथी खो नाले पर बांध / स्टाप डेम का निर्माण किये जाने, तथा
 - (ख) ग्राम पचलाना में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,
- (10) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम सेवढ़ा, दुल्हारा, मुढ़ेरी, बमरा एवं ग्वालियाँ के हाईस्कूलों के भवन का निर्माण कराये जाने,
- (11) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम गोवरपानी से गोरखपुर तक रोड निर्माण किये जाने,
- (12) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम सूरजपुर, बछौन तथा पंचम नगर के बीच शासकीय जमीन (मौजा) रमना में गौ अभयारण्य खोले जाने,
- (13) श्री रजनीश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम पांडिया छपारा में पुलिस चौकी खोले जाने,
- (14) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम रानीपिड़रई से गरगटा को जोड़ने वाली कच्ची सड़क बनाये जाने,
- (15) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम उड़ल में जोहिला नदी पर पुल का निर्माण किये जाने,
- (16) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम सिंहपुर छोटा से पुआरिया तक सड़क बनाये जाने,
- (17) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना जिले के ग्राम सोजना में सड़क का निर्माण किये जाने,
- (18) श्री दीवानसिंह पटेल, सदस्य, बड़वानी जिले की कुम्हार गली पानसेमल में एप्रोच रोड का निर्माण किये जाने,
- (19) श्री महेश राय, सदस्य, सागर जिले के ग्राम बारधा एवं देहरी में हायर सेकेन्ड्री स्कूल शुरू करवाये जाने,
- (20) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम बोरिया के जर्जर शासकीय हाईस्कूल के भवन का निर्माण कराये जाने,
- (21) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम मोहद से छिल्टीया मार्ग की वेदा नदी पर पुलिया का निर्माण किये जाने,
- (22) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम तिलपेवाड़ा से हट्टा तक सड़क का निर्माण किये जाने,
- (23) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम पंधाना में आदिवासी कन्या छात्रावास खोले जाने,
- (24) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम सालरियाखेड़ी मार्ग के मध्य स्थित नाले पर पुलिया का निर्माण किये जाने,
- (25) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम कराठा सहित अन्य ग्रामों में सामुदायिक भवन का निर्माण किये जाने,
- (26) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के पनागर में एन.एच.07 से ग्राम कारीवाह तक की जर्जर सड़क का निर्माण किये जाने,
- (27) डॉ. कैलाश जाटव, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम कमोद में 33/11 के व्ही. का विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने,
- (28) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य, सिंगरौली जिले के ग्राम लमसरई के शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (29) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले की नगर पंचायत हनुमना एवं मऊगंज कस्बे के अंदर की सड़कों का निर्माण किये जाने,
- (30) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम हथकुरी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किये जाने,
- (31) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम खाम्ह घाट नाले पर काजवे-कम स्टापडेम का निर्माण किये जाने,
- (32) श्री मथुरालाल, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम तरखेड़ी की प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में उन्नयन किये जाने,
- (33) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम रजपुरा, पलेरा की प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्नयन किये जाने,
- (34) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के -
 - (क) ग्राम बेला से विजयशंकर पिड़िहा के घर तक सड़क को जोड़े जाने, तथा
 - (ख) ग्राम धोवरबरी स्कूल के पास से प्रधानमंत्री पहुंच मार्ग तक सड़क जोड़े जाने,
- (35) श्री अरुण भीमावद, सदस्य, शाजापुर जिले के जिला मुख्यालय से चौमा तक दोहरी सड़क का निर्माण किये जाने,
- (36) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम सिहौरा से उपाधि महाविद्यालय तक मुख्य मार्ग का सीमेन्टीकरण कराये जाने,
- (37) डॉ. रामिकशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम बालागांव के हाईस्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (38) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, सदस्य, गुना जिले के ग्राम ढीमरपुरा मंदिर से गांव की तरफ तथा भोगीराम के मकान के सामने से श्मशान घाट तक तथा काबी तलैया से छिकारी तक रोड बनाये जाने,
- (39) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दितया जिले के ग्राम इंदरगढ़ से लांच तिराहे तक रोड बनाये जाने,
- (40) श्री अनिल जैन, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम पठाराम से चचावली एवं सकूली से शक्तिभेरो मार्ग को डामरीकृत सड़क से जोड़े जाने,

- (41) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम बमोरी हाला में नवीन प्राथमिक शाला के भवन का निर्माण किये जाने,
- (42) श्री चेतराम मानेकर, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम कुजवा से कोहपानी तक डामरीकृत सड़क का निर्माण किये जाने,
- (43) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के चाचौड़ा के शासकीय बालिका छात्रावास को 150 छात्राओं की क्षमता योग्य किये जाने,
- (44) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के विजयपुर में बाईपास सड़क का निर्माण किये जाने,
- (45) श्री अमर सिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम खुजनेर के मॉडल हायर सेकेण्ड्री स्कूल की सड़क/ बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने एवं बिजली की सुविधा उपलब्ध कराये जाने,
- (46) श्री प्रताप सिंह, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम कुसमी मानगढ़ की माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (47) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य, छतरपुर जिले के बिजावर-मातगुंवा के मार्ग को डबल लेन किये जाने,
- (48) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले की खातेगांव तहसील के नलघाट से ग्राम नवाड़ा तक सड़क बनाये जाने,
- (49) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के संगीत महाविद्यालय का नामकरण, भवन की स्वीकृति एवं आवश्यक बजट आवंटन किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य.

- (1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.
- (2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 16 सन् 2017) के पुर:स्थापन की अनुमित का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमित प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.
- (3) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 17 सन् 2017) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.
- (4) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) के पुर:स्थापन की अनुमित का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमित प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.
- (5) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2017) के पुर:स्थापन की अनुमित का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमित प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

2 घण्टे

(शेष 1 घण्टा 30 मि.)

7. वर्ष 2017-2018 की प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमश:).

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे "दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 43, 45, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 60, 64 तथा 67 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पांच हजार बावन करोड़, तिरपन लाख, सैंतालीस हजार, दो सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.".

8. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2017 (क्रमांक 20 सन् 2017) का * पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

ं उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

भोपाल :

दिनांक : 23 जुलाई, 2017

अवधेश प्रताप सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.